COURT FEE INDIA भारत दस रुपये TEN RUPEES

(10)

<u>समक्ष श्रीमान मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल, ग्वालियर कैम्प, भोपाल (म.प्र.)</u>

PBR/निगरानी/रायसेन/भू.रा/2017/6363 निगरानी प्र.क्र. ———/2017

1. जितेन्द्र रघुवंशी आत्मज श्री कृष्ण मुरारी
2. शिवकुमार आत्मज श्री जगदीश प्रसाद

निवासीगण – ग्राम छींद, तहसील बरेली,
जिला रायसेन (म.प्र.) .... आवेदकगण

श्री राजेन्द्र गिरि अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत दि. 28-12-17

विरुद्ध

शिवपाल सिंह आत्मज श्री शेर सिंह रघुवंशी
निवासी– ग्राम छींद, तहसील बरेली,
जिला रायसेन (म.प्र.) .... अनावेदक

28-12-2017

<u>निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959</u>

आवेदकगण राजस्व प्रकरण क्र. 3/अ–13/16–17 में पारित आदेश दिनांक 03.11.2017 से असंतुष्ट होकर यह निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष निम्न तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत कर रहे हैं।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक PBR/निगरानी / रायसेन / भू.रा. / 2017 / 6363

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2–1–2018	आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 3–11–17 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय अनावेदक के आने–जाने के रास्ते को आवेदकगण द्वारा अवरूद्ध किया जाना पाते हुए अंतरिम आदेश पारित कर रास्ता खुलवाया गया है, जिसमें कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । चूंकि तहसील न्यायालय द्वारा अभी प्रकरण का अन्तिम निराकरण किया जाना है, जहां आवेदकगण को पक्ष समर्थन का अवसर उपलब्ध है । अतः यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	